(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1299/94 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—09—1994 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 150/1991—92/निगरानी.

.....

दफेदार सिहं पुत्र अमर सिहं जाति ठाकुर
निवासी ग्राम घनेटा, तहसील पोरसा, परगना
अम्बाह, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

.....आवेदक

विरूद्ध

1—लाल सिंह पुत्र रधुनाथ सिंह ठाकुर
2—हमीर सिंह पुत्र रधुनाथ सिंह ठाकुर
3—ज्ञान सिंह पुत्र अमर सिंह जाति ठाकुर
सभी निवासीगण ग्राम घनेटा, तहसील पोरसा,
परगना जिला मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 1-8-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 150/1991—92/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30—09—1994 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम घनेटा में स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका खाता कमांक 97 सर्वे कमांक 176 की भूमि रकवा 4 विघा 13 विस्वा अनावेदकगण के लालसिंह एवं हमीर सिंह तथा ज्ञानसिंह के सह भूमिस्वामी एवं आधिपत्य में है । अतः अनावेदकगण द्वारा उक्त भूमि का बटवारा किया जाने हेतु नायब तहसीलदार पोरसा, जिला—अम्बाह के यहॉ

आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा इश्तेहर जारी किया गया। अनावेदक ज्ञानसिंह को तलव किये जाने पर उसने बटवारे में सहमती व्यक्त की। इस पर आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में से 99 वर्गमीटर आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की है। अतः उसे बटवारे अलग रखा जावे तथा 99 वर्गमीटर भूमि शासकीय कागजात में एवं अक्श नक्शा पेश करने हेतु अवसर दिये गये, किन्तु उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 24.03.87 से आपत्तिकर्त्ता आवेदक का साक्ष्य प्रस्तुत करने का हक समाप्त कर दिया तथा भूमि का बटवारा कर दिया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभगीय आधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई, जिसमें अनुविभगीय आधिकारी ने बटवारा करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय में प्रत्यावर्तित किया। जिसके विरूद्ध में अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा दिनांक 16.04.92 को आवेदकगण के हित में आदेश पारित करते हुये अनुविभागीय आधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश के खिलाफ आवेदक द्वारा द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 30.09.94 को निरस्त की गई । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश से दुखी होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें विचारण न्यायालय में आवेदक के द्वारा आपत्ति के स्वत्वों का प्रश्न उठाया गया था । संहिता की धारा 178 के परन्तुक के अधीन प्रकरण में बंटवारे की कार्यवाही को 3 माह के लिये स्थगित किया जाना आवश्यक था । इस स्थंगन के लिये किसी भी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी । बटवारे के सम्बध में जो सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की जाती है उसका उद्देश्य मात्र यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । इसी के आधार पर आवेदक ने आपत्ति का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था, जो विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है । विवादित भूमि अनावेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की हो ही नहीं सकती है जब तक की उसका बटवारा विधिनुसार नहीं किया जा सकता । अतः अधीस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत निगरानी में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिये गये है । इसी बिन्दु के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने जो प्रकरण प्रत्यावर्तित का आदेश पारित किया है वह विधीनुकूल है । इसमें हस्तक्षेप करनी की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होता ।

5/ विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि के एक भाग (99 वर्गफीट भूमि) के स्वत्व के बारे में आपत्ति उठाई थी और स्वत्व का निराकरण कराने हेतु 3 माह का समय चाहा गया था । इस मांग पर विचारण न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है, बल्कि अंतिम बहस सुनने के उपरांत ही आदेश पारित किया है । अभिलेख से यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदक को भूमि सर्वे क्रमांक 176 से लगी सर्वे क्रमांकों का अक्श नक्शा और खसरों की नकल प्रस्तुत करने हेतु 3 अवसर प्रदान किये गये थे, किन्तु आवेदक द्वारा कोई दस्तावेत प्रस्तुत ही नहीं किये गये । चूँकि बटवारे के प्रकरण में आपत्तिकर्ता द्वारा स्वत्व का प्रश्न उठाये गये है । ऐसी दशा में उसे तीन माह का समय दिया जाना चाहिये, किन्तु आपत्तिकर्ता का भी यह दायित्व होता है कि वह न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें, अर्थात् निर्देशानुसार प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करें, जिससे की वादग्रस्त भूमि में आपत्तिकर्ता का स्वत्व होने की प्राथमिक रूप से पुष्टि न्यायालय में हो सके ।

6/ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक अभिलिखित भूमि स्वामी नहीं है और विचारण न्यायालय द्वारा उसे विवादित भूमि के स्वामित्व बावत साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है, किन्तु उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

उपरोक्त तथ्यों में प्रकाश डालने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.94 में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उसे यथावत रखा जाता है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी निरस्त की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर